बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/PMC/बैठक/131/2014-114 पटना, दिनांक 15/02/2017

आदेश

विभागीय उड़नदस्ता एवं निगरानी प्रशाखा के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा के दौरान पाया गया कि मापी पुस्त पर संबंधित अभियंताओं का केवल हस्ताक्षर रहता है, जिसके कारण दोषी अभियंताओं को चिन्हित करने में समस्या उत्पन्न होती है एवं इनके विरूद्ध कार्रवाई करने में अनावश्यक विलंब होता है।

मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त यह निदेश दिया जाता है कि मापी पुस्त, प्राक्कलन, परिमाण विपत्र, एकरारनामा एवं अन्य संबंधित अभिलेखों पर पदाधिकारियों द्वारा अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम, पदनाम एवं आई0डी0 संख्या अवश्य अंकित किया जाय। इस कार्य हेतु मुहर का उपयोग भी किया जाय।

उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Singh 15.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)

सयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांकः– 1/PMC/बैठक/131/2014-114 पटना, दिनांक 15/2/2017

प्रतिलिपिः–सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/(अभियंत्रण)/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल– 1/2/3/4/सिंचाई मोनिटरिंग अंचल/निदेशक, काडा/बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल–1 एवं 2, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु प्रेषित। मुख्य अभियंता इस आदेश की प्रति अपने प्रक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को उपलब्ध करायेंगे।

Singh 15.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)

सयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

fah/ draft 38